Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old

**अनुमन्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)बनमनखी,पूर्णिया बिहार**

स्वत्व वाद सं.-31/20

अरविन्द यादव उर्फ बासुकी यादव बनाम श्याम सुन्दर यादव एवम अन्य

| Order date | Order with signature of the Court | Office action taken |
|---|---|---|
| 30/01/24 | वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। प्रतिवादी गण अनुपस्थित हैं \| वादी की ओर से आ.22 नि.4,9 दिवानी प्रक्रिया संहिता एवम धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन आज प्रस्तुत किया गया \|पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए \| उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि इस वाद के प्रतिवादी संख्या 8 रवि यादव की मृत्यु को हो गई है जिसकी जानकारी वादी को नही थी \| प्रतिवादी सं. 8 अपने पिछे अपनी पत्नी रंजु देवी,पुत्र रौनक कुमार एवम पुत्री राखी कुमारी को छोड कर मरे हैं \| अतः विनम्र निवेदन है कि वादपत्र से प्रतिवादी 8 का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाए जाने की कृपा की जाय ।<br>प्रतिवादिगण अनुपस्थित है \|<br><br>वादी पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया \| अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस वाद के प्रतिवादी संख्या 8 की मृत्यु हो गई है जिसकी जानकारी वादी को नही थी जिस कारण से वादी नियत समय मे यह आवेदन नही दे सका है \| वाद के प्रभावी एवम न्यायपूर्ण निराकरण के लिए प्रतिवादी सं.8 के विधिक वारिसान को अभिलेख पर लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है अत: न्यायहित मे वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन को विलम्ब को माफ करते हुए स्वीकृत कर उपशमन को अपास्त कर वाद से प्रतिवादी संख्या 8 का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की तिथि से 14 दिन के भीतर वादपत्र में संशोधन करें एवम समन सामग्री प्रस्तुत करे \|<br>वाद आगामी दिनांक 05/03/24 समन सामग्री हेतु नियत।<br>लेखापित-<br><br>असैनिक न्या.(व.को.)बनमनखी<br>पूर्णिया ,बिहार | |